विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की पालना में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण बारे रिपोर्ट।

उपरोक्त विषय पर आज दिनांक 29.09.2023 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.09.2023 को पारित आदेशानुसार गठित कमेटी जिसमें जिलाधीश महोदय नूंह, डीडीपीओ नूंह, आर0ओ0 एचएसपीसीबी, वनमण्डल अधिकारी नूंह शामिल थे, के द्वारा संयुक्त रूप से शिकायकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार ग्राम पंचायत झामुवास तहसील तावडू की गोचर भूमि का दिनांक 29.09.2023 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर पहले से ही कोई वृक्ष या वन्य झाडियां नहीं थे। इस संबंध में वनमण्डल अधिकारी नूंह द्वारा अवगत कराया गया कि इस भूमि पर वन विभाग द्वारा कभी भी पौधारोपन नहीं किया गया है तथा न ही यह भूमि पीएलपीए सैक्सन 4 एवं 5 के तहत वन क्षेत्र/पौधारोपन के लिए आरक्षित की गई है। निरीक्षण के दौरान खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तावडू, संबंधित ग्राम सचिव तथा सरपंच, ग्राम पंचायत झामुवास भी उपस्थित थे। बीडीपीओ तावडू द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत झामुवास द्वारा इस बारे में गौचर भूमि पर अवैध कब्जा करने के अंदेशे को देखते हुए दिनांक 25.04.2023 को ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि गौचर भूमि को कृषि कार्यों हेतु पट्टा पर दे दिया जाये ताकि लोगों के द्वारा गांव की गौचर भूमि पर अवैध कब्जा न किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा विपेज कॉमन लैण्ड नियम (रेगुलेशन) 1964 के नियम 3 के अनुसार ग्राम पंचायत का युटीलाईजेशन प्लान बनाने व इसमें संशोधन के लिए ग्राम पंचायत व ग्राम सभा सक्षम होती है, इसलिए ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के हितों की रक्षा के लिए उक्त गौचर भूमि को पट्टे पर छोडने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा अंग्रेज सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार के मामले में दायर याचिका नं0 2013 (1) L.A.R. 385 (P&H DB) & CWP 13652 of 2009 द्वारा निर्णय दिया गया था कि ग्राम पंचायत गोचर भूमि व ग्राम पंचायत यूटिलाईजेशन प्लान बनाने व संशोधन करने में सक्षम है।

अतः याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई याचिका तथ्यविहीन व बलहीन पाई गई।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नूंह।

वनमण्डल अधिकारी, नूंह

आर0ओ0 एचएसपीसीबी

जिलाधीश, नूंह।